-276

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
फोन- 0755-278493 ईमेल- pssocialjustice@mp.gov.in

क्रमांक/ 1325/ 1857412/2024/261 (पाठ्य) भोपाल दिनांक 09/08/2024

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. समस्त संभागीय आयुक्त
4. समस्त जिलाध्यक्ष
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश।

विषय - दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के तहत शारिरिक रूप से दिव्यांगों के लिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चुतर्थ श्रेणी के पदों में आरक्षण।

संदर्भ - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल, दिनांक 01.06.2022

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित परिपत्र द्वारा दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 तथा मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 12 के तहत प्रत्येक सरकारी स्थापन में सीधी भर्ती के प्रक्रम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चुतर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगता की चार श्रेणियों में 1.5-1.5% के आधार पर दिया गया है।

उपरोक्त संबंध में संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा दिव्यांगों के पूर्व अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांगता की तीन श्रेणियों में ही पद आरक्षित/चिन्हांकित किये है, जबकि नवीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के तहत दिव्यांगों के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगता की चार श्रेणियों में 1.5-1.5% के आधार पर दिया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत ऐसे सभी विभाग जिन्होंने दिव्यांगता की नवीन चौथी श्रेणी-ऑटिज़्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलाँगता में 1.5% के आधार पर पद आरक्षित/चिन्हांकित नहीं किये गये है, वह संशोधित प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु संलग्न प्रारूप में तैयार कर यथाशीघ्र इस विभाग को अनिवार्यतः प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग

पृ. क्रमांक/ 1326 / 185741/2/2024/26-1 (पार्ट-2)   भोपाल दिनांक 09/08/2024

प्रतिलिपि-

1. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन ।
2. महाधिवक्ता कार्यालय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, भोपाल।

प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण विभाग

दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित पदों की जानकारी

विभाग का नाम :

पद की श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के द्वारा भरे हुये पद	रिक्त पद (3-3a)	निशक्तजनों के लिए चिन्हांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6%)	दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित पद/भरे पद/रिक्त पदों की जानकारी															रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी
						दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	लोकोमीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेबल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक, पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%) चिन्हांकित पद	भरे पद	रिक्त पद	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहु–विकलांगता (1.5%)	भरे पद	रिक्त पद	कुल योग (5+8+11+14)	कुल भरे पद (6+9+12+15)	कुल रिक्त पद (7+10+13+16)	
1	2	3	3(a)	3(b)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	योग																				

हस्ताक्षर

पदमुद्रा सहित